

दिनांक 23.09.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन के समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त :-

दिनांक 23.09.2024 जिला रायफल क्लब के सभा कक्ष में जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधोहस्ताक्षरी, जिला विकास अधिकारी, समस्त, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी व अन्य प्रतिनिधि, सहायक परियोजना प्रबन्धक एवं डी0पी0एम0 मे0 मेधज तथा डी0पी0एम0यू0 के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गई।

1 - बैठक में एल0 एण्ड टी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.09.2024 तक 1910 श्रमिक कार्य पर लगाये गये हैं। कार्य पर अभी और श्रमिकों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि परियोजना के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि सभी परियोजनाओं पर श्रमिकों एवं मशीनों की संख्या बढ़ाकर निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

कार्यवाही - अधि0अभि0 जल निगम(ग्रामीण) / परि0प्रब0 एल0एण्ड टी0।

2 - दिनांक 23.09.2024 तक 524 नलकूपों का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसके सापेक्ष 466 नलकूपों में डेवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण है तथा 416 नलकूपों में मोटर पम्प अधिष्ठापित कराकर 260 नलकूपों को क्रियाशील किया गया है। अधिष्ठापित 416 नलकूपों के सापेक्ष क्रियाशील नलकूपों की प्रगति काफी कम है जो संतोषजनक नहीं है।

बैठक के दिनांक 23.09.2024 को प्रारम्भ नलकूप कार्य	दिनांक 23.09.2024 तक डेवलपमेन्ट पूर्ण किये जाने वाले नलकूपों की सं0	दिनांक 30.09.2024 तक मोटर पम्प अधिष्ठापित की जाने वाली नलकूपों की सं0	दिनांक 30.09.2024 तक क्रियाशील नलकूपों को बढ़ाये जाने की सं0
524	466	420	263

बैठक में एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.09.2024 तक नलकूपों में 4 मोटर पम्प का अधिष्ठापन एवं 3 नलकूपों को क्रियाशील करते हुए उपरोक्तानुसार क्रमशः 420 एवं 263 नलकूपों के कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें तथा अवशेष नलकूपों के डेवलपमेन्ट के कार्य में अपेक्षित प्रगति लायें।

कार्यवाही - अधि0अभि0 जल निगम(ग्रामीण) / परि0प्रब0 एल0एण्ड टी0।

3 - जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 531 योजनाओं के सापेक्ष अभी तक मात्र 501 परियोजनाओं पर ओवरहेड टैंक का कार्य प्रारम्भ कराया गया है परन्तु मात्र 275 ओवरहेड टैंक अधिष्ठापित कराकर 200 का कार्य ही पूर्ण कराया गया है। ओवरहेड टैंकों के पूर्णता की प्रगति काफी धीमी है, जिसकी प्रगति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

शिरोपरि जलाशय की संख्या	कार्य प्रारम्भ	दिनांक 30.09.2024 तक पूर्ण किये जाने वाले टैंक अधिष्ठापन की संख्या	दिनांक 30.09.2024 तक पूर्ण किये जाने वाले ओवरहेड टैंकों की सं0
531	501	279	203

बैठक में परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.09.2024 तक पूर्ण किये जाने वाले टैंक अधिष्ठापन की संख्या 275 में 04 तथा पूर्ण ओवर हेड टैंक की संख्या 200 में 03 की वृद्धि कर क्रमशः 279 एवं 203 की संख्या तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। परियोजना प्रबन्धक, एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15.09.2024 तक ओवरहेड टैंकों का कार्य उपरोक्तानुसार संख्या के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

कार्यवाही - अधि0अभि0 जल निगम(ग्रामीण) / परि0प्रब0 एल0एण्ड टी0।

4 - जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल 531 स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अभी तक 485 योजनाओं पर पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई 8407 कि०मी० के सापेक्ष अभी तक मात्र 5982 कि०मी० पाइप लाइन बिछाये जाने का ही कार्य पूर्ण कराया गया है तथा अभी तक मात्र 5384 कि०मी० पाइप लाइन का हाइड्रो टेस्ट कराया गया है, जिसकी प्रगति काफी कम है।

कार्य प्रारम्भ योजना की सं०	प्रस्तावित लम्बाई	दिनांक 30.09.2024 तक पूर्ण किये जाने वाले पाइप लाइन	दिनांक 30.09.2024 तक पूर्ण किये जाने वाले हाइड्रो टेस्ट पाइप लाइन की ल०
485	8407 कि०मी०	6032 कि०मी०	5404 कि०मी०

परियोजना प्रबन्धक एल०एण्ड टी० को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2024 तक 50 कि०मी० पाइप लाइन तथा 20 कि०मी० पाइप लाइन का हाइड्रो टेस्ट कराकर उपरोक्तानुसार प्रगति सुनिश्चित करायें।

इसी प्रकार प्रस्तावित गृह संयोजन संख्या 302490 के सापेक्ष अभी तक 238302 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराया गया है, जो प्रस्तावित के सापेक्ष कम है। परियोजना प्रबन्धक एल०एण्ड टी० को निर्देशित किया जाता है कि कार्य पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराकर ग्राम वासियों का गृह संयोजन कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) / परि०प्रब० एल०एण्ड टी०।

5 - कुल स्वीकृत 531 परियोजनाओं के सापेक्ष अभी तक मात्र 319 परियोजनाओं पर ही सोलर पैनल का कार्य प्रारम्भ कराया गया है तथा 308 परियोजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापित कराया गया है। आपूर्ति 521 सोलर पैनल के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ एवं अधिष्ठापित कराये गये सोलर पैनल की प्रगति अत्यन्त ही धीमी है।

सोलर पैनल के मॉग की सं०	आपूर्ति की गई सोलर पैनल की सं०	कार्य प्रारम्भ परियोजनाओं की संख्या	अधिष्ठापित कराये गये सोलर पैनल की सं०	दिनांक 30.09.2024 तक तक अधि० किये जाने वाले सो०पै० की सं०
531	521	319	308	311

परियोजना प्रबन्धक, एल०एण्ड टी० को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.09.2024 तक 03 और सोलर पैनल को अधिष्ठापित कराते हुए उपलब्ध सोलर पैनल के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ कराने तथा अधिष्ठापित कराये जाने वाले सोलर पैनल की प्रगति में अपेक्षित वृद्धि लाना सुनिश्चित।

कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) / परि०प्रब० एल०एण्ड टी०।

6 - कुल स्वीकृत परियोजना 531 के सापेक्ष अभी तक मात्र 378 पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ कराया गया है तथा 311 पम्प हाउस का ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजना प्रबन्धक एल०एण्ड टी० को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30.09.2024 तक 02 पम्प हाउस को पूर्ण कराते हुए श्रमिकों तथा मशीनों की संख्या बढ़ाकर समयान्तर्गत पम्प हाउस के निर्माण का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) / परि०प्रब० एल०एण्ड टी०।

7 - बैठक में एल०एण्ड टी० द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 531 परियोजनाओं के सापेक्ष 528 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध है तथा 04 परियोजनाओं में भूमि विवाद है (तहसील पिण्डरा 01 व सदर 03)।

अधिशायी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) एवं परियोजना प्रबन्धक एल०एण्ड टी० को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कुल 04 परियोजनाओं के भूमि विवाद का निराकरण नियमानुसार सक्षम स्तर

से कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित कराये। साथ ही परियोजना परिसर में स्थित पेड़ों की कटाई अपने स्तर से कराकर उसे गाम पंचायत को हस्तगत करा दें जिससे कि ग्राम पंचायत द्वारा नीलागी की कार्यवाही कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

कार्यवाही – अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण) / परि०प्रब० एल०एण्ड टी०।

8 – जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु कुल 2320702 मी० खड़जा / इण्टरलाकिंग / सी०सी०रोड / डब्ल्यू बी०एम० रोड एवं बिटूमिन रोड की कटिंग की गई है जिसके सापेक्ष अब तक 2109371 मी० सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य ही पूर्ण कराया गया है, शेष सड़कों के मरम्मत का कार्य कराया जाना बाकी है। कटिंग किये गये सड़कों का मरम्मत ससमय मानक के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा ग्रामीणों द्वारा निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है उसे चिन्हांकित कराकर एल०एण्ड टी० के सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध एफ०आइ०आर० दर्ज कराना सुनिश्चित कराये। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला विकास अधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध कराते हुए प्रगति को अद्यतन कराते रहेंगे।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	परियोजना / ग्रा०पं० का नाम	मार्ग का नाम / पते का विवरण	मार्ग का प्रकार (खड़जा / इण्टरलाकिंग / सी.सी.रोड / पिच रोड)	क्षतिग्रस्तता की अनुमानित लम्बाई	मार्ग के मरम्मत की स्थिति		
						पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	मरम्मत नहीं की गई है

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्य की एक मास्टर रजिस्टर तैयार करा लें, जिसमें मोटर पम्प, ओवर हेड टैंक, सोलर पैनल / डी०जी०सेट, बिछाई गई पाइप लाइन, ग्राम पंचायत की कुल परिवारों के सापेक्ष कनेक्शन दिये गये परिवारों की सं०, पम्प हाउस एवं क्षतिग्रस्त मार्गों इत्यादि का विवरण अंकित किया जायेगा तथा जिला विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक्सेल शीट तैयार कराकर अद्यतन सूचना अंकित कराते हुए जिलाधिकारी महोदय, अधोहस्ताक्षरी एवं जिला विकास अधिकारी को नियमित अवलोकित कराया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी एवं परियोजना प्रबन्धक एल०एण्ड टी० को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में मार्गों को क्षतिग्रस्त किये जाने के पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं सभी कार्यदायी संस्थाओं से अनिवार्य रूप से अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिससे कि पूर्व में बिछाई गई गैस पाइप लाइन, विद्युत केबिल, सीवर लाइन तथा जलापूर्ति की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न हो सके अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की दशा में यथाशीघ्र उसका मरम्मत कराया जा सके।

कार्यवाही – जिला विकास अधिकारी / अधि०अभि० जल निगम ग्रामीण / समस्त ख०वि०अ० / परि०प्रब० एल०एण्ड टी०।

9 – बैठक में एल०एण्ड टी० द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 531 स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 260 परियोजनाओं से 503 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें 134 परियोजनाओं में ओवर हेड टैंक के माध्यम से तथा 126 परियोजनाओं में नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति हो रही है।

कार्यवाही – जिला विकास अधिकारी / जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०

10- एल0एण्ड टी0 द्वारा बैठक में बताया गया कि 85 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी तथा परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जाना है उन परियोजनाओं के समस्त कर््यों का सत्यापन विधिवत कराकर सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मा0 जनप्रतिनिधियों से शिकायास कराया जाना सुनिश्चित कराये।

कार्यवाही - जिला विकास अधिकारी/ अधि0अभि0 जल निगम(ग्रामीण) / परि0प्र0, एल0एण्ड टी0।

अतः सम्बन्धित को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

(हिमांशु नागपाल)
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी-वाराणसी।

पत्रांक- 1301 / ज0जी0मि0 / बैठक कार्य0 / 2024-25

दिनांक- 27 सितम्बर, 2024

- प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1 - जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
 - 2 - जिला विकास अधिकारी, वाराणसी।
 - 3 - अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण, वाराणसी।
 - 4 - समस्त खण्ड विकास अधिकारी, वाराणसी।
 - 5 - श्री संदीप विश्वास, प्रभारी कन्ट्रोल रूम, विकास भवन, वाराणसी।
 - 6 - परियोजना प्रबन्धक, एल0एण्ड टी0, वाराणसी।
 - 7 - परियोजना प्रबन्धक, मेधज, वाराणसी।
 - 8 - जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0-वाराणसी।

मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।